न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला- भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर RAS)

प्रकरण सं. 6/2020

विषय- प्रा.पत्र- अन्तर्गत धारा 136 LR Act.

निर्णय. दिनांक- 22.3.2021

(1) राजवीर
(2) राजविजय
(3) रामवीर
(4) सुरेन्द्र -

→ पि. मोहनसिंह जाति- जाट नि. मई तह. नदबई जिला- भरतपुर

(5) भगवती w/o. मोहनसिंह - जाट नि. मई -

- प्रार्थीगण

बनाम-

(1) राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब नदबई (उप तहसील- लखनपुर)

अप्रार्थी.

निर्णय!- प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 LR Act

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 136 LR Act इस- आशय का पेश किया कि- बंदोबस्ती काल संवत 2060 के खाता सं. 351 के ख.न. 1954, 1955, 1984, 1986, 1987, 1994, 1995, 1996, 1997, 1996, 2007, 2008, 2009, 2040, 2053, 2059, 2070, कुल- 17 रकबा 1.93 है. हिस्सा. प्रत्येक- 1/40, 1/40 व खाता सं. 332 के ख.न. 2001 रकबा 0.23 हिस्सा- 1/40, 1/40 वाके ग्राम- मई तह. नदबई के प्रार्थीगण सह खातेदार काबिज- काश्त 'रेकार्ड [illegible] के प्रत्येक- निगमा- संवत 2060 खाता [illegible] ख.न. [illegible], 1647, 1648, 1655 व 1656, 1657, 1675, 168[illegible], [illegible] त्रुटिवश [illegible], नाम-

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:59:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी) संवत 2042 से 2045 व गिलान कौन कला संवत- 2060 वाके मर्द पेश किये गये। उक्त आराजी- प्रार्थीगण के पिता मोहन सिंह द्वारा खरीद- शुदा आराजी है। मुतनाजा- आराजी- मर्द ग्राम पर स्थित है तथा प्रार्थीगण की- ग्राम मर्द की वाशिन्दा है। बलिहाज जुलाबिन्दी (जमाबन्दी) संवत- 2042 से 2045 मे खाता- वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनसिंह सा. देह- दर्ज है। तथा उनके देहान्त उपरान्त नी नामान्तरण- व विरासतन- पिता मोहन- के स्थान पर प्रार्थीगण का नाम अंकित कर आराजी वर्णित मे हिस्सा 1/8 भाग है- दर्ज किया गया है- लेकिन- इसके बाद- न्यू प्रबन्ध विभाग- संवत- 2060 द्वारा- जुलाबिन्द आधार (जमाबन्दी) व उसके बाद की सभी- जमाबन्दियो मे अन्य- सहखातेदार- कारो के साथ-साथ- प्रार्थीगण को बजाय साकिन देह के स्थान पर साकिन- महोगढ़पुर दर्ज कर दिया गया है। जो गलत व काबिल दुरस्ती है-

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित- आराजी पर साकिन महोगढ़पुर के स्थान पर सा. देह- दर्ज किये जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा- 136 LRAct के तहत दर्ज रजि. किया जाकर. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये- अप्रार्थी सं. 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नखेर उपस्थित होकर अपना. जवाब प्रार्थना पत्र- पेश किया गया- तथा अपने जवाब प्रा. पत्र मे विवादित- आराजी- का साकिन- महोगढ़पुर के स्थान पर- साकिन मर्द दर्ज करने हेतु राजस्व रिकार्ड अनुसार- शुद्ध किये जाने हेतु जाहिर सहमति. की गयी-

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन मे दस्तावेजी के रूप मे नकल जमाबन्दी संवत- 2073-76 वाके ग्राम- मर्द-, नकल- जमाबन्दी संवत- 2042-2045 वाके मर्द, नकल जमाबन्दी संवत- 2030-33 वाके मर्द, नकल- न्यू प्रबन्धक विभाग- संवत ... वाके मर्द, नकल जमा.- संवत- 2069-72- वाके मर्द, ... कौन कला संवत- 2060 वाके मर्द, तथा- आधार कार्ड, राशन कार्ड, भागवत, राम विलास, रामवीर सिंह, पेश किये गये।

अप्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:59:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा वि. आराजी पर सामान्य देह अहोगढ़ (?) के स्थान पर सामान्य देह करने का अनुरोध किया गया।

हमने विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया गया पत्रा. पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वि. आ. खाता स. 351 के खसरा न. 1954, 1955, 1984, 1986, 1987, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2040, 2053, 2059, 2070, व खाता स. 332 के खसरा न. 2001 [illegible] ग्राम मढ़ पर प्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है पर सामान्य देह अहोगढ़पुर अंकित है तथा नकल जमाबंदी 2042-2045 (बाई मूल में) प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनसिंह सामान्य देह अंकित है। इसके बाद विरासतन पिता मोहन सिंह के स्थान पर उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम [illegible] दर्ज कर दी गयी परन्तु इसके बाद प्रबन्ध विभाग संवत 2060 द्वारा आधार जमाबंदी व उसके बाद की जमाबंदियों में अन्य सह खातेदारों के साथ प्रार्थीगण को सामान्य देह के स्थान पर सामान्य अहोगढ़पुर दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार नये व पुराने खसरा नम्बरान का मिलान होता है, प्रार्थीगण मूलतः रूप से मढ़ ग्राम के निवासी है [illegible] जिसकी पुष्टि में आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है तथा पत्रा. पर पटवारी हल्का मढ़ की रिपोर्ट भी है जिस पर सभी प्रार्थीगण खातेदारान मढ़ के निवासी बताये गये है, इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी पर सामान्य अहोगढ़पुर के स्थान पर सा. देह दर्ज किये जाने हेतु [illegible] द्वारा दुरुस्ती किये जाने हेतु अपनी सहमति भी जाहिर की गई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी [illegible] संवत 2060 के खाता स. 351 के खसरा न. 1954, 1955, 1984, 1986, 1987, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2040, 2053, 2059, 2070, व खाता स. 332 के खसरा न. 2001, [illegible] स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण की सामान्य अहोगढ़पुर के स्थान [illegible] मढ़ देह शुद्ध किये जाने के आदेश तहसीलदार नदबई [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन कर पालना निभवाई जावे। [illegible] तहसीलदार को पालनार्थ हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दि. 22.3.2021 को लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(हस्ताक्षर) 22/3/21
हेमराज गुर्जर RAS
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:59:39 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner